तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी / अपील / एलआर / 1945 / 2021 / सवाईमाधोपुर **यशोदा बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री हेमराज गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता।
श्री सी0पी0 शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2।

—

आदेश

दिनांकः— 05.06.2023

यह नजरसानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत मण्डल की एकलपीठ द्वारा अपील / एलआर / 1376 / 2018 यूआईटी बनाम यशोदा में पारित किए गए निर्णय दिनांक 06—11—2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस नजरसानी पर सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि माननीय न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय में स्पष्टतया परिलक्षित त्रुटि रह गई हैं, जिससे माननीय न्यायालय का निर्णय पुनरावलोकन किए जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण अतंर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान किया गया प्रकरण था ना कि तबादले अथवा अंतर्गत धारा 48, 49 राज0काश्त0अधि0 के तहत, माननीय न्यायालय के अपील का निस्तारण करते हुए विनिमय मान लिया जबकि प्रकरण अंतर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत था। तहत न्यायालय ने भी प्रकरण को धारा 136 की पोषणीयता के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया था अपितु पक्षकारों के दुसंयोजन के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया था। मण्डल ने अंतर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधि0 के प्रावधानों को देखे बिना निर्णय पारित कर दिया और प्रकरण को धारा 48, 49 राज0काश्त0अधि0 के तहत होना मानकर निर्णय पारित कर दिया। इसलिए मण्डल का निर्णय पुनरावलोकन किए जाने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी / अपील / एलआर / 1945 / 2021 / सवाईमाधोपुर **यशोदा बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य है। माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रकरण गलत तरमीम के आधार पर कराया गया था। प्रार्थी अपनी खातेदारी घोषणा के लिए नहीं आया था। प्रार्थी तो पूर्व में खसरा नंबर पर जहां वह काबिज है, के आधार पर भू–प्रबंध के बाद बनाए गए खसरा नंबर पर नक्शे में गलत तरमीम होने के आधार पर गलत खसरा नंबर बनाए जाने की त्रुटि को दुरूस्त कराने आया था, जो त्रुटि अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0 के तहत दुरूस्त की जा सकती थी, जिसे नहीं समझने से माननीय न्यायालय से त्रुटि हुई है। मण्डल न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि कोई भी प्रकरण में विधिक कार्यवाही के तहत नोटिस दिया जाना सतत् प्रक्रिया है। प्रस्तुत प्रकरण में तहत न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किए गए जो विधिवत् तामील हुआ। माननीय तहत न्यायालय तहसीलदार से विधिवत् मौके के रिपोर्ट तलब की गई जिसे प्रेषित किया जाना तहसीलदार के लिए आवश्यक था। रिपोर्ट को न मानने का कोई आधार नहीं है। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रार्थी उक्त खसरे में पूर्व से काबिज नहीं है। प्रकरण को सही समझ कर निर्णय पारित करने में माननीय मण्डल से त्रुटि हुई है। वादग्रस्त आराजीयात को सैटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारों के नाम हटा दिए गए, जिसकी जानकारी खातेदारों को कतई नहीं थी। संपूर्ण कार्यवाही मिलीभगत एवं षड्यंत्रपूर्वक की गई है। अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई वह विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गई थी एवं विलंब का कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया गया था जिसके कारण उक्त अपील मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित एवं निरस्त किए जाने योग्य थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2019 निरस्त किया जावें तथा संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 बहाल किया जावें। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा ने कथन किया कि माननीय न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् निर्णय है, जिसमें नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। नजरसानी का स्कोप बहुत ही सीमित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त की जावे ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी / अपील / एलआर / 1945 / 2021 / सवाईमाधोपुर **यशोदा बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण धारा 136 राजस्व भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश किया गया था जिसमें भूमि विनिमय का कोई प्रावधान नहीं है । अधी0न्याया0 का आदेश क्षैत्राधिकार विहीन होने से मण्डल की एकलपीठ ने निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । बहस में यह भी कथन किया कि नजरसानी का स्कोप बहुत ही सीमित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व एकलपीठ द्वारा पारित आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

यह निर्विवाद स्थिति है कि नजरसानी प्रार्थनापत्र मात्र निम्न आधारों पर ही स्वीकार किया जा सकता है –

1. निर्णय अथवा आदेश पारित करने के उपरान्त नवीन और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी जो कि पूर्व में सम्यक् तत्परता के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे, या
2. ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो, या
3. अन्य किसी पर्याप्त कारण के आधार पर

हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये है, उनके बाबत इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि उक्त प्रकार के आधार अपील के तो हो सकते हैं किन्तु वे नजरसानी स्वीकार करने के आधार नहीं हो सकते है। नजरसानी की आड में यह न्यायालय इस सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय करने के पक्ष में नहीं है। एकलपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी / अपील / एलआर / 1945 / 2021 / सवाईमाधोपुर **यशोदा बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिलेख का अध्ययन व पूर्ण विवेचन करने के पश्चात ही गुणावगुण पर आलोच्य आदेश पारित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जाना संभव है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। ए आई आर 1995 एस सी पेज 455, 2005 (1) आर आर टी 545 एस सी सहित न्यायिक दृष्टान्तों की एक श्रृंखला है, जिनमें यह अवधारित किया गया है कि नजरसानी का प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकता है। नजरसानी का दायरा अत्यधिक सीमित होता है और नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। आर आर डी 2010 पेज 254 प्रेमराज बनाम श्रीमती मनभर देवी में राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– *"(a) Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble High Court have held in several matters that the remedy of review is not an instrument for re-examination of the facts and it cannot be utilized as an instrument for re-writing the judgment. The scope of review does not provide an opportunity of an extra appeal. It has been held that even when judgment is erroneous the scope of review is not attracted.* *(b) The scope of review is very limited and review is not the method of re-examination of a judgment. It even does not give any scope to the court to sit in appeal over the judgment pronounced by the same court. The scope permits only to correct the mistakes which are apparent on the face of the record.* ***Hon'ble Supreme Court in Smt. Meera Bhanja Vs. Nirmala Kumari Chaudhary, AIR 1995 SC page 455*** *clearly held that the error apparent on the face of*	

the record should be such which should strike immediately looking at the face of the record and which does not require any long drawn process of reasoning or examination of law. The courts are not supposed to re-appreciate the evidence but only restrict themselves for correction of the mistakes which are visible on the face of the record. ***In Ajit Kumar Rath Vs. Orissa State AIR 2000 SC 85, the Hon'ble Apex Court*** *has held that the power is not absolute and it is subject to restrictions indicated in Order 47 CPC. A review cannot be claimed as a remedy for a fresh hearing or for correction of an erroneous view taken earlier.*

(c) The power of review can be exercised only for correction of patent error of law or fact which stares on the face without any elaborate argument being needed in establishing it. The error apparent on the face of the record is one which is self-evident and does not require a process of reasoning and it is distinct from erroneous decision. Rehearing the matter or detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of the jurisdiction of review. Jurisdiction of review cannot be used as an appellate jurisdiction in disguise. ***Hon'ble Supreme Court in State of Haryana Vs. Mohinder Singh 2003 (I) WLC (SC) page 499*** *considered the scope of review under Order 47 Rule 1 CPC which is reproduced here:- "Civil Procedure Code O.47 Rule 1- Scope- Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of- High Court in hearing review as if it was rehearing whole petition overstepped its limits- Order of High Court set aside and original order restored."*

2005(1) आर आर टी पेज 545 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी / अपील / एलआर / 1945 / 2021 / सवाईमाधोपुर **यशोदा बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

review.

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आरबीजे (12) पेज 290 में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

> *"The scope of review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of the record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and can not be allowed to be an appeal in disguise."*

यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू पीटिशन संख्या 662 / 2001 बउनवान सुरेन्द्रकुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रेल, 2004 में भी प्रतिपादित किया गया है, जो आरआरटी 2005 (1) पेज 545 पर उद्धरित है।

प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने पारित आदेश में ऐसी कोई जाहिरा त्रुटि नहीं बतला पाये है जिससे इस नजरसानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी / अपील / एलआर / 1945 / 2021 / सवाईमाधोपुर **यशोदा बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सकें। हमारी सुविचारित राय में प्रकरण की तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः पारित आदेश में नजरसानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति निगरानी पत्रावली में संलग्न की जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी / अपील / एलआर / 1945 / 2021 / सवाईमाधोपुर **यशोदा बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए